BSES

1 लाख जुर्माना अदा करने के बावजूद, उद्योगपति को बिजली चोरी में जेल

दूसरे मामले में, बीएसईएस के खिलाफ झूठा मुकदमा करने वाले व्यापारी पर जुर्माना

- उद्योगपति 48 किलोवॉट बिजली की चोरी करते पकड़ा गया था
- उस पर 18. 69 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था
- दूसरे मामले में, कपड़ा व्यापारी ने तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश किया और बीएसईएस के खिलाफ केस किया
- कोर्ट ने कपड़ा व्यापारी की अर्जी खारिज की और, उस पर 5, 000 रूपये का जुर्माना भी किया

नई दिल्लीः 15 सितंबर, 2008। प्रेम नगर में वायर कटिंग व स्पॉट वेल्डिंग यूनिट चलाने वाले उद्योगपति मोहम्मद असलम को बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के आरोप में तिहाड़ जेल भेज दिया है। यह एक अनोखा मामला है क्योंकि आरोपी द्वारा पार्ट पेमेंट के तौर पर जुर्माने की 1 लाख की रकम का भुगतान करने के बावजूद, पटपड़गंज स्थित स्पेशल कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

दरअसल, फरवरी, 2008 में बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने असलम को 48 किलोवॉट बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा था। वह अपनी वायर कटिंग व स्पॉट वेल्डिंग यूनिट चलाने के लिए चोरी की बिजली का उपयोग कर रहा था। इस मामले में रोचक तथ्य यह है कि आरोपी के पास बिजली के तीन मीटर थे। एक मीटर का सैंक्शंड लोड सिर्फ 1 किलोवॉट था। बाकी बचे दो मीटर डिसकनेक्टेड थे और उन्हें बाइपास कर, बिजली की चोरी की जा रही थी। बिजली चोरी के आरोप में असलम पर, भारतीय बिजली कानून के मुताबिक, 18. 69 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। आरोपी ने पार्ट पेमेंट के तौर पर, जुर्माने के 1 लाख रूपये का भुगतान कर दिया, लेकिन उसने बाकी रकम का भुगतान नहीं किया। इसके बाद बीएसईएस मामले को स्पेशल कोर्ट में ले गई।

हालांकि दलील यह दी गई कि चूंकि आरोपी 1 लाख रूपये का भुगतान पार्ट पेमेंट के तौर पर कर चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए आरोपी की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया और उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उल्लेखनीय है कि आरोपी की एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी एक बार पहले भी मई में खारिज कर दी गई थी।

बीएसईएस के खिलाफ झूठा मुकदमा खारिज, व्यापारी पर जुर्माना

उधर, फतेहपुरी के कपड़ा बाजार में, मेसर्स गौरी शंकर एंड संस कंपनी के मालिक गौरी शंकर को तीसहजारी कोर्ट ने एक करारा झटका दिया और उसके द्वारा बीएसईएस के खिलाफ दायर किए गए झूठे मामले को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि ठोस तथ्यों को छिपाने के मामले में उस पर 5, 000 रूपये का जुर्माना भी किया।

दरअसल, कपड़ा व्यापारी गौरी शंकर ने बीवाईपीएल और अपने मकान मालिक के खिलाफ एक केस दर्ज कराया जिसके माध्यम से वह यह सुनिश्चित कराना चाहता था कि उसके किराए के स्थान की बिजली न काटी जाए। जांच के दौरान पता चला कि सच तो यह है कि उसकी बिजली, मामला दर्ज कराने के कई दिन पहले ही काटी जा चुकी थी।

तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश करने के मामले को तीसहजारी कोर्ट ने गंभीरता से लिया कि जब बिजली पहले ही काटी जा चुकी है, तो फिर याची ने यह अनुरोध कैसे किया कि बिजली कंपनी और मकान मालिक को उसकी बिजली काटने से रोका जाए ! इसके बाद अदालत ने कपड़ा व्यापारी द्वारा दायर किए गए मामले को खारिज कर दिया और उस पर 5, 000 रूपये का जुर्माना भी किया, जिसे बीवाईपीएल और मकान मालिक द्वारा आपस में बराबर बांटा जाएगा।

बीएसईएस के एक अधिकारी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया– यह मामला मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद का लगता है। बीएसईएस को अनावश्यक रूप से इस विवाद में खींचा गया। यही नहीं, याची ने तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश भी किया। यह मामला उन लोगों के लिए एक सबक साबित होगा, जो अपने हितों के लिए तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते हैं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304